न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/255/2013

उनवान

1. श्रीमती छोटी बेवा रामदेव बलाई निवासी पीपलूंद तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के बजाय :–
   1/1 श्रीमती घीसी पुत्री श्रीमती छोटी पत्नि मथुरा लाल बलाई निवासी पिपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राम लाल पिता मुतबन्ना रामदेव बलाई निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 370/2006 निर्णय दिनांक 29.5.2007

अधिवक्तागण :–

1. श्री मेहराज अली , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री कैलाश पारीक ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 30.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खाते में दर्ज कृषि आराजी संख्या 983 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1395/6 रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13 बिस्वा, आराजी संख्या 1499 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 1503 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1536 रकबा 14 बिस्वा आराजी संख्या 1571 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 2862/2278 शा0नं0 2279 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा ग्राम पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज हो काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजियात में वर्णित कृषि भूखण्ड प्रार्थी के पिता की पैतृक सम्पति है प्रार्थी को स्व0 रामदेव जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पत्नी की सहमति से गोद रखा था तभी से ही प्रार्थी अपने गोद पिता की सम्पति पर काबिजकाश्त है प्रार्थी की माता का निधन पूर्व में ही हो चुका था व तत्पश्चात पिता रामदेव जी का निधन हो गया । उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता के स्थान पर प्रार्थी का नाम अंकित किया जाना चाहिये था परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत के आधार पर स्वयं को प्रार्थी के गोद पिता की नातायत पत्नि बता राजस्व रेकार्ड में अंकन करा लिया जो विधिविरूद्ध है । इस कारण उक्त रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम हटाकर सम्पूर्ण कृषि आराजियात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 के नाम पर वादग्रस्त आराजियात दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 ने 5 बीघा भूमि का विक्रय कर दिया है एवं शेष बची आराजियात को भी विक्रय कर देने पर उतारू है। अप्रार्थीया न तो पीपलून्द में रही है और न ही कभी आती जाती है। इस कारण कभी भी अवैध रूप से विक्रय कर सकती है। अतः विपक्षी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त कृषि भूखण्डो को मूल वाद के निस्तारण तक न तो विक्रय करें एवं न ही अन्य को बक्षीस करे एंव राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया अनपढ होकर विधवा महिला है तथा उम्र से भी बुजुर्ग है तथा प्रार्थीया ग्राम पीपलून्द में ही निवास करती है। फिर भी जानबूझकर विपक्षी द्वारा गलत नाम श्रीमती छोटी पत्नी हीरा अंकित कर गलत नाम से तामिल भिजवाई थी। जो अपीलार्थीया को नहीं मिली। दूसरी बार जो सम्मन भिजवाया गया उसकी तामिल भी किसी बाबूलाल नामक व्यक्ति पर हुई। अपीलार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई थी। जिस कारण अपीलार्थीया के विरूद्ध एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया गया । पटवारी से नकल लेने पर स्थगन आदेश की जानकारी हुई। इस पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन स्थगन आदेश की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब ो कण्डोन करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम पीपलून्द की आराजी नम्बर 983 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1395/6 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 1399 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 1503 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1536 रकबा 14 बिस्वा,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी संख्या 1571 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 2862/2278 शा.नं. 2279 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा स्थित है जो अपीलार्थीया के पति स्व0 रामदेव पिता धन्ना जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। रामदेव के फौत हो जाने के पश्चात उक्त आराजियात अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी को स्व0 रामदेव ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी की सहमति से गौद ले रखा था प्रत्यर्थी अपने गोद पिता की सम्पति पर काबिज काश्त रहा था। रामदेव के निधन के पश्चात अपीलार्थीया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रत्यर्थी के गोद पिता की नातायत पत्नी बताकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करा लिया व राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के बाद 5 बीघा भूमि का बेचान कर दिया व शेष भूमि बेचने पर आमादा है। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करने के बाद अपीलार्थीया/विपक्षीया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया ।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो कि पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य था। उसके बावजूद अपीलार्थीया/विपक्षीया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीया पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस की प्रोपर तामिल नहीं हुई थी। प्रथम सम्मन तो गलत पते पर जारी किया गया एंव दूसरी बार जो सम्मन जारी किया गया उसे किसी बाबूलाल पर तामील कराया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया। बाबू लाल कौन था। इसकी कोई जानकारी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित पता छोटी बेवा हीरा बलाई निवासी माईला पोलिया तहसील जहाजपुर जानबूझकर गलत तौर पर अंकन किया है व प्रत्यर्थीया विपक्षी यह जानते हुए कि अपीलार्थीया/विपक्षी छोटी बेवा रामदेव बलाई निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा है फिर भी गलत तौर पर प्रार्थना पत्र में अंकित कर सम्मन प्रेषित न कर जानबूझकर के पीपलून्द प्रेषित करता है उसके बाद माईला पोलिया तहसील जहाजपुर दिनांक 19 फरवरी 2007 की पेशी के लिए दिनांक 6 फरवरी 2007 को सम्मन न्यायालय से प्रेषित होता है जो बाद तामिल प्राप्त होना बताया है जबकि तथाकथित समन किसी बाबूलाल नाम के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है बाबू लाल कौन है, कहॉ रहता है ? अपीलार्थीया विपक्षीया के क्या लगता है इसका कोई अंकन समन की पुश्त पर नहीं किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी समन की तामील मानकर दिनांक 29.5.2007 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 8 जनवरी 2007 की पेशी बाबत जो सम्मन दिनांक 22.12.2006 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया था उक्त सम्मन इस पृष्ठांकन के साथ प्रार्थीया पीपलून्द में नही रहती है ऐसा उपस्थित मौतबिरान ने बताया व समन अदम तामील लौटा दिया लेकिन इस सम्मन के बारे में कोई अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कोई अंकन नहीं है एवं न ही ऐसा कोई आदेश अंकित है कि सही पता पेश होने पर दुबारा तामिल जारी हो। प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने कोई दूसरा पता प्रस्तुत किया हो ऐसा भी आदेशिका पर अंकित नहीं है। फिर भी दुबारा नोटिस जारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया जो बाबू लाल पर तामिल कराया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का सही तौर पर अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया स्व0 रामदेव की पत्नी है व पत्नी होने के नाते उसका नाम रामदेव के फौत होने के बाद राजस्व रेकार्ड में वैध उत्तराधिकारी होने से दर्ज हुआ है । अपीलार्थीया स्व0 रामदेव की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रही है। ऐसी स्थिति में कानूनन खातेदार के विरूद्ध स्थगन नहीं दिया जा सकता है । जहॉ तक प्रार्थी/प्रत्यर्थी के स्व0 रामदेव का गोद पुत्र होने का प्रश्न है एवं गोद पुत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है तो वह अनुतोष सिविल कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। तथाकथित गोदनामा फर्जी है प्रत्यर्थी के पिता की वल्दीयत रामलाल पिता बरदा बलाई अंकित है। जबकि रामलाल आपने आपको धन्ना बलाई का पुत्र होना बताता है। गोदनामे से प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित नहीं होता है की प्रत्यर्थी के माता–पिता द्वारा गोद दिया गया हो एवं स्व0 रामदेव व उसकी पत्नी द्वारा गोद लिया गया हो। गोद नामा 20 साल बाद निष्पादित कराया गया है जबकि गोद 20 साल पूर्व लेना बताया गया है। कितने साल की उम्र में प्रत्यर्थी/प्रार्थी को गोद लिया गया यह अंकित नहीं है। उक्त गोद नामा फर्जी है। इसलिए उक्त गोदनामे के आधार पर कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया गया है जो गलत है। अतः अपील अपीलार्थीया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी स्व0 रामदेव का गोद पुत्र है। उक्त तथ्य का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत के बाद होगा। अपीलार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से 5 बीघा भूमि का विक्रय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. दौराने विचारण अपीलार्थीया/विपक्षी की मृत्यु हो जाने से उसकी विधिक उत्तराधिकारी उसकी पुत्री घीसी को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अपने आपको स्व0 रामदेव का गोद पुत्र होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं साथ ही अपीलार्थीया/विपक्षी छोटी को स्व0 रामदेव की नातायत पत्नी होने का कथन अंकित किया है। जबकि अपीलार्थीया छोटी ने स्वयं को स्वयं को रामदेव की छोटी पत्नी होने का कथन किया है।

12. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/विपक्षी पर समन की प्रोपर तामील नहीं हो पाई थी एवं उसके विरूद्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एकतरफा कार्यवाही कर प्रत्यर्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी का यह कथन कि अपीलार्थीया/विपक्षी छोटी स्व0 रामदेव की नातायत पत्नी है। जबकि प्रत्यर्थी ने अपने आपको स्व0 रामदेव का गोद पुत्र होने का कथन किया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश जारी किये जाने से पूर्व अपीलार्थीया/विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात की अपीलार्थीया की मॉ छोटी (फोत) खातेदार काश्तकार दर्ज है । स्थगन आदेश जारी किये जाने से पूर्व प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को ध्यान में रखा जाना चाहिये था। वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीया की माता के नाम पर दर्ज है अपीलार्थीया छोटी ने वादग्रस्त जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2010 से उसका हिस्सा खरीद कर आराजियात पर अपना कब्जा होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु अपीलार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है एवं यदि अपीलार्थीया के विरूद्ध स्थगन ओदश पारित किया जाता है तो निश्चत ही अपीलार्थीया/विपक्षीया को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 29.5.2007 को निरस्त किया जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 30.7.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/7/18

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा